## सार-समाचार

### अधिवक्ता वरूण पालीवाल सम्मानित

**उदयपुर,**(कासं)। विदेश मंत्रालय भारत सरकार और उसानास संस्था के वार्षिक भू-राजनीतिक संवाद 2024 मे सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के अधिवक्ता वरूण वी.एच.पालीवाल सम्मानित हुए।दो दिवसीय आयोजन के मुख्य अतिथि जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री अलनानी के साथ भारत के पूर्व विदेश मंत्री एम.जे.अकबर, दिल्ली के पूर्व एल.जी.तेजेन्द्र खन्ना एवं लक्ष्मी पुरी (असि.सेकेट्री जनरल-संयुक्त राष्ट्र), डा.रूबिन (पेंटागन यूएसए), तुर्किये के राजदूत, आर्मेनिया के राजदूत, डिप्टी एन.एस.ए.एवं ले.जनरल राज शुक्ला आदि कई देशों के राजदूत और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कानून आधारित विश्व में विश्वमित्र भारत की भूमिका पर यह अत्यंत सफल वार्ता रही। अधिवक्ता वरूण पालीवाल को गत 22-23 मार्च को उदयपुर के होटल रिसोर्ट रमाडा में सम्मानित किया।

### एक अप्रेल से ई-डी.एल. की व्यवस्था शुरू

**उदयपुर,** (कासं)। एक अप्रेल से राज्य में ई-डीएल की व्यवस्था आंरभ होने से ड्राइविंग टेस्ट के जिन ऑनलाईन आवेदनों में ड्राईविंग टेस्ट का स्लॉस्ट अप्रेल माह में नियत हो गया है, वे आवेदक आगामी 28 एवं 29, 30 व 31 मार्च (राजकीय अवकाश) को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में ऑन द स्पॉट अपना स्लॉस्ट मार्च के इन दिनों के लिए करवा सकेगें।प्रादेशिक परिहवन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि इस यदि उक्त तिथियों को आवेदक परिवहन कार्यालय में आकर ऑन द स्पॉट अपना स्लॉस्ट रिशिडयूल करवा सकते है। उन्होंने बताया कि मार्च में बकाया राजस्व शत प्रतिशत अर्जित करने के उदेश्य से राजकीय अवकाश के दिनों में कर संठाहण के साथ साथ अन्य सभी राजकीय कार्य एवं उनसे संबंधित राजस्व अर्जन किया जा सकेगा।

### संगोष्ठी 30 मार्च से

**उदयपुर,** (कासं)। भूपाल नोबल्स विवि के सामाजिक एवं मानविकी संकाय के अर्थशास्त्र विभाग एवं सतत शोध कल्याण संस्थान, उदयपुर के साझे में 'सतत विकास में नयी दृष्टि :अवसर एवं चुनौतियां' विषयक दो दिवसीय 30 व 31 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। उक्त जानकारी संगोष्ठी समन्वयक डॉ. नरेश कुमार पटेल ने दी। संगोष्ठी सह समन्वयक व जोधपुर विवि के सहआचार्य डॉ लक्ष्मण सालवी ने बताया कि यह गोष्ठी हाइब्रिड माध्यम से होगी। आयोजन सचिव एवं सतत शोध कल्याण संस्थान की सचिव डॉ एकता कटोड ने बताया कि इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा पत्रवाचन किए जाएंगे। भूपाल नोबल्स विवि के चैयरपर्सन एवं संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक कर्नल प्रो शिवसिंह सारंगदेवोत, प्रेसिडेन्ट एवं संगोष्ठी संरक्षक डॉ. महेन्द्र सिंह, कुलसचिव एवं संगोष्ठी सह सरंक्षक मोहब्बत सिंह ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि संगोष्ठी में सतत विकास की नई दृष्टि के विविध आयामों एवं चुनौतियों पर शोधपरक चिंतन किया जाएगा।

### अवैध गांजे के पौधे जब्त

**उदयपुर,** (कासं)। बैकरिया थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान उनसाठ लाख रूपये मूल्य के गांजे के अवैध पौधे जब्त किए। अन्यत्र कोटडा थाना पुलिस ने लाखों का अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्रसिंह राठोड़ के सुपरविजन में बैकरिया थानाधिकारी धनतपसिंह के नेतृत्व मेंगठित दल ने गुराजगांव में स्थित भग्गाराम पुत्र मीठाराम निवासी उपला गुरा बैकरिया के खेत में लगे 46 किलो अवैध गाजे के पौधे, भीमाराम पुत्र भेराराम निवासी गुरा बैकरिया के खैत से 72 किलोठाम अवैध गांजे के पौधे जब्त कर प्रकरण दर्ज किए। बरामद गांजे की फसल का मूल्य करीब 59लाख रूपये बताया जाता है। इसी तरह जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्रसिंह राठोड़ के सुपरविजन में कोटड़ा थानाधिकारी अशोक कुमार सिंह चम्पावत के नेतृत्व में गठित दल ने जोगाराम उर्फ जगदीश पुत्र उदा निवासी जानिया खाखरा जोगीवड़ कोटड़ा के कब्जे से 11 लाख रूपये मूल्य का 21 किलों 250 ठाम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।

### अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

**उदयपुर,** (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनराजपुरोहित के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए मादडी इन्डस्ट्रियल एरिया में नाकाबंदी के दौरान राजु पुत्र हिरालाल ओड निवासी मठ मादडी प्रतापनगर तथा अन्य कार्यवाही में देबारी चौराहे से नाकाबंदी के दौरान कमलेश राव पुत्र बालकिशन राव निवासी खेमपुरा रेल्वे फाटक प्रतापनगर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से अवैध शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

# भाजपा प्रत्याशी रावत ने मंत्रोचारण के साथ दाखिल किया नामांकन

**उदयपुर** । निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के द्वितीय चरण की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए पहले दिन एक प्रत्याशी ने चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन गुरुवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,सेक्टर-14 उदयपुर निवासी मन्नालाल रावत पुत्र गौतमलाल ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चार नाम, निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं। पोसवाल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। इसमें उम्मीदवार राजकीय अवकाश को छोड कर शेष दिवस में सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे के मध्य रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय (जिला कलक्टर कार्यालय) में अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की समय.सीमा 8 अप्रैल अपराह्न 3 बजे तक रहेगी।

नामांकन प्रक्रिया शुरू के पहले दिन उदयपुर सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने गुरूवार दोपहर नामांकन दाखिल करवाया। अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्री पहुंचे रावत ने जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के समक्ष नामांकन दाखिल किया। टाउनहॉल में रावत के समर्थन में सभा भी रखी गई।मन्नालाल रावत वर्षों तक उदयपुर में परिवहन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान विभिन्न स्तर की बैठकों में शामिल होने वे परिवहन अधिकारी के रूप में कई बार कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन गुरूवार को तस्वीर बदली बदली नजर आयी। इस बार रावत गले में भाजपा का दूपट्टा डाले एक नेता के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और लोकसभा का चुनाव लडने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जिला कलेक्टर के समक्ष अपना नामाकंन पत्र दाखिल किया। रावत ने कुल चार नामाकंन पत्र दाखिल किए। रावत ठीक सवा 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे लेकिन तय मुर्हत के अनुसार 12.26 मिनिट पर अपना नामाकंन पत्र दाखिल किया।नामाकंन से पहले प्रदेश के जनजातिय मंत्री बाबूलाल खराडी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रवीन्द्र श्रीमाली, देहात जिलाध्यक्ष चन्द्रगुप्त सिंह चौहान, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन,सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली, अतिरिक्त महा धिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल सहित कई नेता मौजूद रहे।

उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मन्नालाल रावत ने जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल को नामांकन प्रस्तुत किया।

## आठ कोरोना रोगी मिले

**उदयपुर,** (कासं)। उदयपुर जिले में गुरुवार को कोविड के 67 सैम्पल लेकर जांच की गयी जिसमें 8 पॉजॉटिव पाये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को कोविड के 67 सैम्पल लेकर जांच की गयी जिसमें 59 नेगेटिव एवं 8 पॉजिटिव पाये गये।


**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक: No. F1 (4)/SEIAA/SEAC-Raj/Scett/Project/Cat.B1 (24110)/2021-22 Jaipur Dated 01 Mar 2024 के द्वारा मैसर्स भगवती टाईल्स प्रोपराईटर श्री बिजेन्द्र सिंह लाठर प्लॉट नम्बर 17/2017 क्षेत्रफल 1.8922 हेक्टर वास्ते स्नेजि ग्रेनाईट निकट ग्राम बाघा का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.) Production Capacity 250000 TPA के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति की प्रति SFIAA जयपुर एवं राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कार्यालय में जन साधारण के लिए उपलब्ध है एवं प्रदूषण मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.nic पर देखी जा सकती है।

**प्रो. श्री बिजेन्द्र सिंह लाठर (मै. भगवती टाईल्स)**

**सूचना**

स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी, जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक **F1(4)SEIAA/SEAC-RAJ/Sectt-/Project/Cat.B2 (20226)/ 2021-22 Jaipur** दिनांक 01/08/2022 द्वारा श्री पुलकीत माहेश्वरी एफ 204, अक्षत निलय अपार्टमेन्ट, हवा सड़क, गीजगढ़ विहार, सिविल लाईन, जिला जयपुर (राज.) के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 03/2021) क्षेत्रफल 1.043 हैक्टर, निकट ग्राम पाडोली, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के पक्ष में पर्यावरण क्लीरियेन्स जारी कि गई है। पर्यावरण क्लीरियेन्स की प्रति राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (राज.) (SEIAA) राजस्थान जयपुर व सम्बधित विभागों में उपलब्ध है तथा इसे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट **www.rpcb.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द**

सं. 3816 **लोक - सूचना** दिनांक :28/03/2024

श्रीमती इति मादरेचा पत्नी श्री संजय कुमार मादरेचा एवं श्री नयन मादरेचा पिता श्री संजय मादरेचा निवासी व्हाईट हाऊस अरिहन्त विहार कॉलोनी 100 फीट रोड राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

| क्र. सं. | जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजसमन्द | आसोटिया | 1315<br>1762/1316<br>1764/1318<br>1319,1320 | रकबा 0.2914 हैक्टेयर, रकबा 0.5029 हैक्टेयर<br>रकबा 0.5423 हैक्टेयर,<br>रकबा 0.2914 हैक्टेयर, रकबा 0.2509 हैक्टेयर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28/03/2024 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगर परिषद राजसमंद**

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द**

सं. 3818 **लोक - सूचना** दिनांक :28/03/2024

श्री घनश्याम मीणा पिता श्री रामजीलाल मीणा निवासी सीनियर स्कूल के पास खेडिया करौली द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

| क्र. सं. | जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजसमन्द | जावद | 883/2 | रकबा 0.1214 हैक्टेयर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 28/03/2024 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त , नगर परिषद राजसमंद**


# पूल केम्पस ड्राइव में 30 विद्यार्थियों का चयन

**उदयपुर,** (कासं)। गीतांजली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज (गिट्स) में विश्व प्रसिद्ध सेमीकन्डक्टर कम्पनी माइक्रोन टेक्नोलोजी के पूल केम्पस ड्राइव गिट्स व विभिन्न कॉलेज के 30 बी.टेक के विद्यार्थियों का चयन ग्रेजुएट इन्जिनियर ट्रेनी के पद पर हुआ।

संस्थान के निदेशक डॉ. एन. एस. राठौड ने बताया कि भारत सेमीकन्डक्टर मेनूफेक्चरिंग की दिशा में आगे बढ रहा हैं। भविष्य में भारत चिप मेनूफेक्चरिंग कम्पनीज का हब होगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकन्डक्टर मेनूफेक्चरिंग सेक्टर में टॉप कम्पनीज में शुमार हैं। जो 1978 से 17 देशों में 11 चिप मेनूफेक्चरिंग युनिट के साथ 43 हजार से ज्यादा कर्मचारियों के साथ मेमोरी सोल्यूशन पर काम कर रही हैं। जिसके प्रमुख उत्पाद डी रैम, नेन्ड, नोर, सोलिड स्टेट डिवाइस और हाई बेण्डविड्थ मेमोरी हैं। यह सब मेमोरी डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस के प्रमुख पार्ट होते हैं।

संस्थान के ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट हैड अरविन्द सिंह पेमावत के अनुसार इस पूल केम्पस ड्राइव में राजस्थान के विभिन्न प्रतिष्ठित इन्जिनियरिंग कॉलेज एम.एन.आई.टी. जयपुर, सी.टी.ए.ई. उदयपुर, एम.एल.वी.टी. भीलवाडा एवं गिट्स जैसे प्रमुख इन्जिनियरिंग महाविद्यालयों के 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। मलेशिया से इन्टरव्यु के लिए आये कम्पनी ऑफिसियल्स ने लिखित परीक्षा, टेक्नीकल इन्टरव्यू एवं एच. आर. के माध्यम से कोर ब्रान्च इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स और मेकेनिकल इन्जिनियरिंग के 30 विद्यार्थियों का चयन ग्रेजुएट इन्जिनियर टेऊनी के पद पर किया। वित्त नियंत्रक बी.एल. जांगिड ने चयनित विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना की।

## ट्रेक्टर जब्त

**उदयपुर,** (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक गजेन्द्र सिंह राव के सुपरविजन में टीडी थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में गठित दल ने पाटीया बस स्टेण्ड से अवैध बजरी से भरा टेक्टर मय ट्रोली जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

## 'मतदान से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए'

**उदयपुर,** (कासं)।भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में कहा मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद नेता हाथ जोडकर भाग कैसे रहे हैं। कांग्रेस के बडे नेताओं ने तो हाथ खडे कर दिए। बडी मुश्किल से तो किसी को तैयार किया कि चुनाव लडना है। जोशी ने कहा कि ये मोदी लहर है राम लहर है।

सीपी जोशी गुरुवार को उदयपुर से पाटी प्रत्याशी मन्नालाल रावत नामांकन दाखिल करने के बाद टाउनहॉल में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे । सभा के दौरान सीपी जोशी ने मोदी सरकार के कामकाज को गिनाकर कांग्रेस पर वार किया। सीपी जोशी ने कहा कि यह सब तब होता है जब देश का शीर्ष नेतृत्व 140 करोड जनता को अपना परिवार मानता है। अटूट विश्वास तब होता है जब आपके 50 साल का राज मोदी के दस साल पर भारी होते है। मोदी से पहले परिवारवाद होता था और मोदी के बाद लोकतंत्र है। पहले बेरोजगार हुआ करते थे और आज कौशल हुआ करता है। राम मंदिर के निर्माण में रोडे अटकाएं और आज मंदिर का निर्माण हो चुका है। सीपी ने कहा कि पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे और 2014 के बाद दुनिया भारत और यहां के प्रधानमंत्री का अनुसरण करती है।सीपी ने भाषण में मोदी सरकार की महिला आरक्षण की बात भी रखी। उदयपुर के प्रत्याशी मन्नालाल रावत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगली बार उदयपुर और चित्तौड का भी नंबर आ सकता है। उनका तर्क था कि सीट महिला रिजर्व हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते।जनजाति मंत्री बाबूलाल खराडी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की पीएचडी कर रखी है। मोदी ने जो कहां वो किया है,यही मोदी की गारंटी है। राज्य में भजनलाल सरकार ने डेढ महीने में जनता के हित में फैसले लिए। भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने कहा कि मैं आदिवासी हिन्दू हूं। सबको मोदी बनकर अपने क्षेत्र में खडे रहना है। रावत ने कहा कि जिस तरह राष्ट्र में रुपांतरण और परिवर्तन का महादौर चल रहा है।

## फरार आरोपी गिरफ्तार

**उदयपुर,** (कासं)। अवैध हथियार कब्जे में रखने एवं डकैती के मामले में एक वर्ष से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेशग गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगनराजपुरोहित के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित दल ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध हथियार व डकैती मामले में एक वर्ष से फरार स्थाई वारंटी योगेन्द्रसिंह उर्फ भानु पुत्र रणजीतसहिं निवासी मठ मार्ग सवीना हॉल सेक्टर 14 गोवर्धन विलास को गिरफ्तार किया।


आरएमजीबी RMGB

**राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक**

(भारत सरकार, राजस्थान सरकार, एंव स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम)

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन निविदा द्वारा सार्वजनिक विक्रय सूचना**

**शाखा - राजसमन्द**

चूंकि निम्न ऋणी/जमानती को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत उनके सामने अंकित बकाया राशि की वसूली के हेतु नोटिस जारी किये गये थे। तत्पश्चात् अधोपदनामित द्वारा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न ऋणी/जमानती की बंधक सम्पत्ति को कब्जे में लेकर "जैसी हैं-जहाँ है", "जैसी है-जो भी हैं" तथा "जो कुछ भी हैं" के आधार पर ऋण वसूली हेतु विक्रय के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

| ऋणी/जमानती का नाम | धारा 13 (2) के नोटिस की तिथि एवं राशि (रू) | बन्धक रखी गई सम्पति का विवरण | दिनांक 27.03.2024 तक बकाया राशि (रू) | नीलामी तिथि समय एवं स्थान | आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (रू) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ऋणीः-** श्री मदन लाल कुमावत पिता श्री छोगा लाल कुमावत **जमानतीः-** श्री रमेश जैन पिता श्री मिश्री लाल | 05.05.2022 रू. 14,47,527/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे | **ऋणीः-** श्री मदन लाल कुमावत पिता श्री छोगालाल के नाम भूमि एंव निर्माण आवासीय संपत्ति खसरा नं.-635, जिसका क्षेत्रफल 744 वर्ग फीट हैं जो कि गांव-हाथीनाडा, तहसील-कांकरोली, जिला-राजसमन्द (राज.) में स्थित है। **सम्पत्ति का पडौस निम्नानुसार हैः- उत्तर मेंः-** आम रास्ता, **दक्षिण मेंः-** श्री नारायण जी का मकान, **पूर्व मेंः-**श्री नेनचन्द एवं मोहिनी बाई का मकान, **पश्चिम मेंः-** श्री भेरूलाल का मकान | बकाया राशि रू. 14,36,638/- + ब्याज एवं अदत्त खर्चे | दिनांक 06.05.2024 समय दोपहर 02 बजे एवं स्थान शाखा परिसर | आरक्षित मूल्य रू. 16,60,634/- धरोहर राशि रू. 1,66,064/- |

**नीलामी की शर्तेः-** 1.उपरोक्त सम्पत्तियों को उक्त अंकित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। इच्छुक निविदादाताओं को **प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा - राजसमन्द** के पक्ष में देय पें-आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में (जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक का हो) उक्त अंकित धरोहर राशि जमा करानी होगी। सफल बोलीदाता के मामले में कथित जमा राशि समायोजित कर ली जाएगी अन्यथा निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। 2. मुहरबंद निविदाऐं धरोहर राशि सहित सीलबंद लिफाफे में जिस पर उपरोक्त सम्पत्ति जिस हेतु निविदा दी गई है का विवरण लिखा हो, प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा-राजसमन्द में दिनांक 06.05.2024 (अंतिम तिथि) दोपहरः 02:00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। 03. अंतिम तिथि के बाद/बिना धरोहर राशि के/अधूरा/किसी भी प्रकार की शर्तों सहित होने पर निविदा अमान्य होगी, निविदाऐं दिनांक 06.05.2024 को प्राधिकृत अधिकारी एंव उपस्थित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दोपहर 02.30 बजे विचारार्थ खोली जाएगी तथा निविदाकर्ताओं के मध्य आपस में बोली बढ़ाने के लिए अवसर दिया जाएगा और अधिकतम बोली को स्वीकार किया जाएगा। 4. अनुसूचित सम्पत्ति का निरीक्षण सम्पत्ति स्थल पर किया जा सकता है। 5. सफल बोलीदाता को बोली छूटने के 24 घंटे के अन्दर बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। क्रेता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीलामी पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के अन्दर या अधोपदनामित के स्वविवेकानुसार दिए गये समय में शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 6. प्राधिकृत अधिकारी सर्वोच्च ऑफर अथवा किसी/समस्त ऑफर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह बिना कारण बताए उसे अस्वीकार कर सकते हैं। 7. विधि अनुसार यथा प्रयोज्य हस्तान्तरण खर्च जैसे-स्टाम्प शुल्क पंजीकरण फीस इत्यादि हेतू देय प्रभार/शुल्क सफल बोलीदाता वहन करेगा। 8. **सम्पत्ति "जैसी हैं-जहाँ है", "जैसी है-जो भी हैं" तथा "जो कुछ भी हैं"** के आधार पर बेची जाएगी तथा अधोपदनामित के ज्ञानानुसार सम्पत्ति पर कोई बकाया नहीं है फिर भी यदि कोई बकाया होता हैं तो निविदाकार/खरीददार को जमा कराना होगा। 9. बिक्री अधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रभार, लियन, भारग्रसता, सम्पत्ति कर अथवा सरकार अथवा किसी अन्य को देय कोई प्रभार के लिये प्राधिकृत अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा। 10. बिक्री प्रमाण-पत्र निविदाकार के नाम से ही दिया जाएगा। 11. उक्त सम्पत्ति के लिए इच्छुक क्रेता नहीं आने पर या बोली स्वीकार नहीं करने के कारण सम्पत्ति को नियम 8 (5) में वर्णित अन्य शक्तियों का उपयोग करते हुए बेचा जा सकेगा। 12. यह प्रकाशन उपरोक्त सभी ऋणीयों/जमानतदारों को 30 दिन का विक्रय नोटिस भी है।

नोटः एतद् द्वारा ऋणीयों और जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके पास कोई उचित मूल्य देने वाले क्रेता उपलब्ध हो तो निविदा तिथि तक प्राधिकृत अधिकारी को सम्पर्क करें और सम्पत्ति उचित मूल्य पर शांतिपूर्वक विक्रय में सकारात्मक सहयोग देवें।

**एन्फोर्समेन्ट एजेन्सीः-** एम.बी.फाईनेन्स, 217, 2nd फ्लोर एम.एम.कॉम्पलेक्स, उदियापोल, उदयपुर-313001 (राज.) मो.नंबरः- 6376410997, 9460507672

**प्राधिकृत अधिकारी राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा-राजसमन्द**


# केवल अच्छे पैकेज लेना ही जरूरी नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देना भी जरूरी : सारंगदेवोत

**उदयपुर,**(कासं)। एक बार उत्सर्जित कार्बन दुनिया में 300 वर्षों तक रहता है और मानव जीवन को दूषित करता रहता है। उत्सर्जित कार्बन पूरी दुनिया में फैलता है, किसी एक देश में नहीं, अतः यह हमारा दायित्व है कि हम उन उपकरणों का प्रयोग करें जो कम से कम ऊर्जा की खपत करें। ये विचार गुरुवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में सोलरमैन ऑफ इंडिया से विख्यात प्रो. चेतन सिंह सोलंकी ने व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि धरती पर तापमान में 1.3 डिग्री की बढोतरी हो चुकी है और 1.5 से 2 डिग्री का परिवर्तन लक्ष्मण रेखा है। उन्होंने सोलर ए-एम-जी का नियम बताते हुए कहा कि सर्वप्रथम हम किसी भी एनर्जी का उपयोग नहीं करें, सोलर ऊर्जा का भी नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से जीना सीखें। जहां आवश्यकता है वहां न्यूनतम उपयोग करें और साथ ही ऊर्जा उत्पादन भी करें। ऊर्जा स्वराज का अर्थ है कि हम घर-घर में नहीं तो कम से कम अपने क्षेत्र में अपनी आवश्यकतानुसार ऊर्जा उत्पन्न कर पाएं।

कुलपति कर्नल प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि, विद्यार्थी ऊर्जा सरंक्षण के कार्य अपने घर से करें, उनसे उनके बडे-बुजुर्ग और अन्य लोग भी सीखने लग जाएंगे। कुछ करने के लिए जुनून होना चाहिए, जुनून के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। भारत विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब हम जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। इन परिवर्तनों में ऊर्जा सरंक्षण और प्रकृति सरंक्षण महत्वपूर्ण विषय हैं और किस विषय में कितना जानना है, यह विद्यार्थी को खुद सोचना होगा। इनके अतिरिक्त 50 साल के बाद जीवन मुश्किल न हो जाए, इस पर विचार भी जरूरी है। केवल अच्छे पैकेज लेना ही नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देना आवश्यक है। पचपन हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके प्रो. सोलंकी ने अपने जीवन को प्रेरणास्पद बना दिया है। उन्होंने एक सोलर बस का निर्माण किया है, जिसमें वे स्वयं रहते भी हैं।

विद्यापीठ की ओर से समन्वयक डॉ. चंद्रेश छतलानी ने बताया कि विद्यापीठ पिछले दो वर्षों से प्रो. सोलंकी के ऊर्जा स्वराज मिशन से जुडा हुआ है। ऊर्जा साक्षरता कार्यक्रम में बारह सौ से अधिक विद्यार्थियों व कार्यकर्ताओं ने पंजीकरण भी किया है । प्रारम्भ में स्वागत अधिष्ठाता व निदेशक प्रो. मंजू मांडोत ने किया, आभार डॉ. भारत सिंह ने जताया।कार्यक्रम में डॉ. मनीष श्रीमाली, डॉ. यज्ञ आमेटा, डॉ. गौरव गर्ग, डॉ. दिलीप चौधरी, डॉ. भरत सुखवाल, डॉ. ललित सालवी, विकास डांगी सहित विद्यार्थी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

DEPARTMENT O
ER SCIEN